न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 50 / 2018 / बाड़मेर

अपीलांट		**रेस्पोडेंटगण**
1. बरकतअली पुत्र उम्मेदअली जाति मुसलमान निवासी सांवा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर	**बनाम**	1.नाज मोहम्मद पुत्र उम्मेदअली 2.इज्जत पत्नी उम्मेद अली जाति मुसलमान निवासी सांवा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर चौहटन द्वारा राजस्व वाद संख्या 118 / 2016 बअनवान बरकत अली बनाम नाज मोहम्मद वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 03.05.2018 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री राऊराम चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. रेस्पोडेंट बावजूद सूचना अनुपस्थिति।

निर्णय

दिनांकः– 11.11.2019

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में दावा प्रतिवादीगण की तलबी हेतु विचाराधीन था कि दावा में न तो जबावदावा आया तथा न ही तनकीयात कायम की गई तथा न ही वादी अथवा प्रतिवादीगण के साक्ष्य लिये गये, बिना सुनवाई साक्ष्य के अभाव में प्रथम स्तर पर ही दावा खारिज कर दिया गया, जो पूर्णरूप से विधि विरूद्ध है। दावा में कोई सुनवाई की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। अपीलांट के खातेदारी खेत खसरा संख्या 209 रकबा 30.06 बीघा व खसरा संख्या 117 रकबा 24.15 बीघा ग्राम सांवा, तहसील सेड़वा में आये हुये है। अपीलांट के खेतों की तरमीम हो चुकी है रेस्पोडेंटगण तरमीम से आगे आकर अपीलांट के खातेदारी खेत में आक्रमण, अतिचार किया है, जिसके संबंध में अधीनस्थ न्यायालय ने कोई मौका रिपोर्ट भी नहीं मंगवाई है। बिना सत्यता व वास्तविकता का पता किये अपीलांट का दावा खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायिक विवेक का इस्तेमाल नहीं करके Arbitrary तरीके से निर्णय किया है, जो विधि में स्थिर रहने योग्य नहीं है। अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत पारित नहीं किया गया है जो काबिल निरस्त योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया बावजूद सूचना सम्यक तामिल अनुपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता अपीलांट की पत्रावली पर एकपक्षीय बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट के खातेदारी खेत खसरा संख्या 209 रकबा 30.06 बीघा व खसरा संख्या 117 रकबा 24.15 बीघा ग्राम सांवा, तहसील सेड़वा में आये हुये है। अपीलांट के खेतों की तरमीम हो चुकी है रेस्पोडेंटगण तरमीम से आगे आकर अपीलांट के खातेदारी खेत में आक्रमण, अचिार किया है, जिसके संबंध में अधीनस्थ न्यायालय ने कोई मौका रिपोर्ट भी नहीं मंगवाई है। बिना सत्यता व वास्तविकता का पता किये अपीलांट का दावा खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायिक विवेक का इस्तेमाल नहीं करके Arbitrary तरीके से निर्णय किया है, जो विधि में स्थिर रहने योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अपीलाधीन निर्णय अपीलांट की अनुपस्थिति में पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय कैम्प कौर्ट मुख्यालय सांवा में पारित किया गया है जिसकी सूचना अपीलांट को दी गई हो ऐसा पत्रावली पर कोई दस्तावेज या नोटिस तामिल सुना नहीं है। न्याय आपके द्वार कैम्प में आपसी समझाईश, लोकअदालत की भावना एवं राजीनामे के आधार पर मामले का निस्तारण होना चाहिये था जबकि हस्तगत वाद में एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली सुनवाई दिनांक 03.05.2018 कैम्प सांवा में रेस्पोडेंट संख्या 01 स्वयं ने उपस्थित होकर यह स्वीकार करते हुए आदेशिका पर अंगुष्ठ निशान किया कि हमने वादी के खेत में कभी–भी प्रवेश नहीं किया तथा न ही प्रवेश करना चहाते है। उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर मौजूद तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील स्वीकार करने योग्य ठहरती है।

न्यायालय इस आशय से रेस्पोडेंट को पाबंद करता है कि अपीलांट के खेत खसरा संख्या 209 रकबा 30.06 बीघा व खसरा संख्या 117 रकबा 24.15 बीघा ग्राम सांवा, तहसील सेड़वा में किसी प्रकार का अतिचार नहीं करे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर चौहटन द्वारा राजस्व वाद संख्या 118/2016 बअनवान बरकत अली बनाम नाज मोहम्मद वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 03.05.2018 को अपास्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि रेस्पोडेंट स्वयं ने अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट की खातेदारी में अतिचार नहीं करना स्वीकार किया है तथा आगे भी अपीलांट के खेत खसरा संख्या 209 रकबा 30.06 बीघा व खसरा संख्या 117 रकबा 24.15 बीघा ग्राम सांवा, तहसील सेड़वा में किसी प्रकार का अतिचार नहीं करे इस आशय से पाबंद किया जाता है।

राजस्व अपील अधिकारी ★ बाड़मेर ★

11/11/19

(नाथूसिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 11.11.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

11/11/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner